वित्तीय वर्ष 2024–25 के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् प्याज भण्डारण संरचना का कार्यान्वयन अनुदेश।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–NHM/BHDS/99/2024–28 दिनांक–15.03.2024 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) (60:40) के तहत प्याज भंडारण संरचना के निर्माण हेतु कुल 450.00 लाख (चार करोड़ पचास लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है।

बिहार राज्य अन्तर्गत प्याज उत्पादन करने वाले किसानों को प्याज के उचित भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुदानित दर पर प्याज भण्डारण संरचना (50 MT) का निर्माण कराया जायेगा, ताकि किसानों को अपने उत्पाद का स–समय बाजार मूल्य प्राप्त हो सके, तथा उनके आय में वृद्धि हो सकेगी।

- इस योजना का क्रियान्वयन अनुसूची–01 के अनुरूप किया जायेगा।
- प्याज भण्डारण संरचना (50 MT) का निर्माण वित्तीय वर्ष 2023–24 में सब्जी विकास योजना 2023–24 अन्तर्गत प्याज भण्डारण संरचना निर्माण (50 MT) के तहत् अनुमोदित विभागीय प्राक्कलन एवं नक्शा के आलोक में किसानों द्वारा किया जायेगा। प्राक्कलन की राशि अथवा अधिकतम 6.00 लाख रूपये का 75 प्रतिशत सहायतानुदान यानि 4.5 लाख रूपये अधिकतम प्रति इकाई एक किस्त में संरचना के पूर्ण निर्माण का कार्य होने उपरान्त नियमानुसार दिया जायेगा। प्रति कृषक परिवार को अधिकतम 1 (एक) प्याज भण्डारण संरचना का लाभ देय होगा। **प्याज भण्डारण संरचना के निर्माण में एकरूपता होना अनिवार्य होगा। संरचना का निर्माण अनुसूची–2 के अनुरूप किया जायेगा।**
- कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू करना अनिवार्य होगा। कार्यादेश को 15 दिनों के अन्दर कार्य प्रारंभ नहीं करने एवं प्रारंभ नहीं करने का कारण कृषक द्वारा लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यादेश रद्द करते हुए दूसरे कृषक को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यक्रम का Geo-tagging तथा निरीक्षण का कार्य सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा, जिसके आधार पर नियमानुसार सहायतानुदान का भुगतान होगा। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं Geo Tagg फोटोग्राफ सॉफ्टवेयर में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- संरचना निर्माण उपरान्त Signage बोर्ड दिवार पर पेंट कराना अनिवार्य होगा।

बोर्ड का प्रारूप निम्नवत् है :–

उद्यान निदेशालय,

कृषि विभाग, बिहार, पटना

योजना का नाम :–

वित्तीय वर्ष :–

इकाई लागत :–

सहायतानुदान :–

लाभुक का नाम एवं पता :–

लाभुक चयन की पात्रता एवं प्रक्रिया :–

1. लाभुक का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।
2. इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार राज्य का कृषक होना तथा कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल (http://dbtagriculture.bihar.gov.in) पर पंजीकृत होना आवश्यक है। उद्यानिक योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक कृषकों को उद्यान निदेशालय के वेबसाईट (horticulture.bihar.gov.in) पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।
3. योजना का लाभ सामान्यतया कृषक परिवार को दिया जायेगा। कृषक परिवार का मतलब पति–पत्नी एवं नाबालिग बच्चा होगा।
4. कृषकों का कोटिवार चयन स्वीकृत्यादेश में निहित आदेश के आलोक में किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा की लाभुक में प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
5. सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय में सभी योजनाओं के लाभुक का संबंधित योजनावार योजना पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।
6. इच्छुक कृषकों द्वारा वेबसाईट पर किये गये ऑनलाईन आवेदन को प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी या सहायक निदेशक उद्यान द्वारा नामित कर्मी द्वारा 7 (सात) दिनों के अन्दर सत्यापन करना आवश्यक होगा।

   उपरोक्त सत्यापन कार्य निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नहीं करने पर आवेदन स्वतः अग्रसारित होने की स्थिति में उक्त सत्यापन हेतु संबंधित कर्मी जवाबदेह होंगे।
7. सत्यापनोपरांत संबंधित सहायक निदेशक उद्यान/स्वीकृति प्राधिकार द्वारा योग्य आवेदक को कार्यादेश 7 (सात) दिनों के अन्दर निर्गत करना आवश्यक होगा।
8. कार्यादेश में कार्य को पूरा करने का समय एवं अनुदान भुगतान की समय–सीमा का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
9. किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/ATM/BTM/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार–प्रसार करते हुए लक्ष्य अनुरूप Online आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे।

   प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी, प्रखण्ड में कार्यान्वित योजनाओं का स–समय शत–प्रतिशत निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन जियो टैग फोटोग्राफ के साथ अपलोड करेंगे।

आवेदन की प्रक्रियाः–

योजना का लाभ लेने हेतु वेबसाईट पर आवेदन संबंधित सभी कागजात अपलोड करना आवश्यक होगा। इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/दो वर्ष पूर्व से अद्यतन राजस्व रसीद/ऑनलाईन अद्यतन रसीद/वंशावली के आधार पर विधि मान्य भू–स्वामित्व का प्रमाण–पत्र में से कोई एक अपलोड करना अनिवार्य होगा।

अनुदान विमुक्ति की प्रक्रियाः–

भुगतान के पूर्व यथा आवश्यक जाँच/ लाभुक एवं सत्यापनकर्त्ता का Geo Tagged Photograph/ सत्यापन कार्य कराते हुए निश्चित समय पर लाभुक को देय अनुदान (DBT in Cash/DBT in kind) का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा, बशर्त्ते कि लाभुक कृषकों का Biometric Authentication उनके आधार नम्बर के साथ हो।

योजनान्तर्गत निर्माण कार्य एवं भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा। उत्तरदेयता पर विचार नहीं किया जायेगा

<u>कार्य दायित्वः–</u>

1. **सहायक निदेशक उद्यान–**
   - जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला बागवानी विकास समिति से राज्य बागवानी मिशन मुख्यालय द्वारा जिलों को आवंटित लक्ष्य का अनुमोदन प्राप्त कर क्रियान्वित किया जायेगा।
   - योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु कार्यशाला, जागरूकता अभियान इत्यादि का आयोजन।
   - प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/कृषि समन्वयक को संबंधित प्रखण्ड/पंचायत हेतु स–समय लक्ष्य उपलब्ध कराना तथा उस लक्ष्य के विरूद्ध लक्ष्य प्राप्ति का समीक्षा करना।
   - कार्य निष्पादित अवयवों के बिना किसी विलम्व के भौतिक सत्यापन हेतु निदेशित करना।
   - योजना के प्रगति का समीक्षा करना तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन से प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/मिशन निदेशक को अवगत कराना। **साथ ही साथ अवयववार प्रगति को संसूचित सॉफ्टवेयर में अपलोड करना।**
   - CFMS से भुगतान के आलोक में अवयववार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को संबंधित सॉफ्टवेयर में नियमानुसार End to end Entry निर्धारित समय सीमा के तहत् सुनिश्चित कराना तथा उसकी समीक्षा करना।
   - दिए गए निर्देश के आलोक में अनुमान्य अनुदान ससमय भुगतान सुनिश्चित करना।
   - जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान, जिला में संचालित योजनाओं का निरीक्षण करेंगे।
2. **प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान :–**
   - प्रमण्डल स्तर पर योजना के प्रगति का पर्यवेक्षण एवं मासिक समीक्षा करना एवं बैठक की कार्यवाही से मिशन मुख्यालय को अवगत कराना।
   - योजना के तहत् विभिन्न अवयवों के कार्यान्वयन के उचित समय को ध्यान में रखते हुए अपने प्रमंडल के सहायक निदेशक उद्यान को आवश्यक दिशा–निर्देश देना ताकि योजना की प्रगति समय से हो सके।
   - CFMS से भुगतान के आलोक में भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को सॉफ्टवेयर में Entry की समीक्षा अपने प्रमंडलीय जिला में समय–समय पर परिभ्रमण के क्रम में करना।
   - प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान के द्वारा प्रमण्डल में कार्यान्वित योजनाओं का निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अपलोड करेंगे।

3. **नोडल पदाधिकारीः–**

- योजना का समय–समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना।
- योजना के कार्यान्वयन के क्रम में जिलों से प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन कराकर निदेश उपलब्ध कराना।
- योजना के ऑनलाईन मासिक प्रगति के समेकित प्रतिवेदन तैयार कराकर मिशन निदेशक राज्य बागवानी मिशन को उपलब्ध कराना।
- योजना का समय–समय पर यथा आवश्यक निरीक्षण करना।

4. **निदेशक, उद्यानः–** मुख्यालय स्तर पर योजना का समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना तथा योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। योजना की प्रगति से समय–समय पर विभागीय सचिव को अवगत कराना।

निदेशक उद्यान, बिहार